... की ...ख्या तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, गढ़वा

भूमि विक्री अनुमति वाद सं०–109/2022

सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत

श्री धर्मेन्द्र पाल एवं अन्य––विक्रेता

प्रति

श्रीमती कबिता देवी––क्रेता

–:आदेश:–

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक/विक्रेता 1. श्री धर्मेन्द्र पाल, 2. श्री आर्यन कुमार पाल, दोनों के पिता–स्व० राम विशुन पाल, ग्राम–छपरदागा, पोस्ट–भिखही, थाना–डण्डा, जिला–गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्रीमती कबिता देवी, पति–श्री सरोज पाल, ग्राम–बाजुडीह, पोस्ट–अटौला, थाना–मेराल, जिला–गढ़वा को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, गढ़वा से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ एवं आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा के पत्रांक 20/दिनांक 10.01.2023 के द्वारा अंचल अधिकारी, गढ़वा का जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि विक्रेतागण के पिता के नाम से मांग चलता है। विक्रेतागण जाति के पाल गड़ेरी (पिछड़ा वर्ग) एवं क्रेता जाति के पाल गड़ेरी (पिछड़ा वर्ग) के सदस्य है, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदक/विक्रेतागण के शांतिपूर्ण दखल–कब्जे में हैं। यह भूमि भूदान, भू–हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।

अतः उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा एवं अंचल अधिकारी, गढ़वा के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदक/विक्रेता 1. श्री धर्मेन्द्र पाल, 2. श्री आर्यन कुमार पाल, दोनों के पिता–स्व० राम विशुन पाल, ग्राम–छपरदागा, पोस्ट–भिखही, थाना–डण्डा, जिला–गढ़वा ने क्रेता श्रीमती कबिता देवी, पति–श्री सरोज पाल, ग्राम–बाजुडीह, पोस्ट–अटौला, थाना–मेराल, जिला–गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तान्तरण करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

भूमि का विवरणः–

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
पिपरा खूर्द	343	01	289	0.03	उ०–विक्रेता द्वारा छोडा गया 10 कड़ी रास्ता, द०–नीज विक्रेता, पू०–ममता कुमारी, प०–अयोध्या चौधरी,
			कुल रकबाः–	0.03	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर) 02.2.23
अपर समाहर्त्ता
गढ़वा

(हस्ताक्षर) 02.2.23
अपर समाहर्त्ता
गढ़वा

Digitally signed by Pankaj Kumar Singh
Date: 2023.02.04 12:52:31 +05:30
Location: 192.168.125.160

Scanned with CamScanner